



डॉ राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय,

पूसा, समस्तीपुर, बिहार – 848125

ईमेल : recruitment@rpcau.ac.in

विज्ञापन संख्या : 03/2019

दिनांक : 28 मई, 2019

कौशलित स्थिति का समर्थन करने के लिए भर्ती के लिए विज्ञापन

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तिथि : 28 मई 2019 (05:00 बजे शाम से)

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि : 29 जून 2019 (11:59 रात्रि तक)

आवेदन शुल्क :

अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर : ` 500/-

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग : ` 250/-

महत्वपूर्ण सूचना पूर्व अभ्यर्थियों के लिए

विज्ञापन संख्या 01/2019 दिनांक 03 मार्च 2019 के अन्तर्गत कुशल सहायक कर्मचारी (Skilled Supporting Staff) का पद शूद्धि पत्र 01 दिनांक 11.03.2019 के द्वारा रद्द किया गया था।

जिन अभ्यर्थियों ने विज्ञापन सं० 01/2019 दिनांक 03 मार्च 2019 के अन्तर्गत कुशल सहायक कर्मचारी पद के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था उन्हें फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। अतः अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा/आगे की चयन प्रक्रिया के लिए पात्रता की जाँच और मुल्यांकन हेतु सही माना जायेगा।

हालांकि, अभ्यर्थि अपने आवेदन को अद्यतन करना चाहते हैं, तो उन्हें आवश्यक शुल्क सहित नए सिरे से आवेदन उक्त तिथि तक करना चाहिए।

विश्वविद्यालय वेबसाइट (www.rpcau.ac.in) पर भर्ती पोर्टल में लॉग इन करके, पदों की उल्लिखित श्रेणियों के खिलाफ कुशल सहायक कर्मचारी के पद के लिए सीधे आधार पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन 28 मई 2019 यानि मंगलवार (05:00 बजे शाम) से 29 जून 2019 (23:59 बजे रात्रि तक) यानी शनिवार तक भरा जा सकता है। इसके बाद, वेबसाइट लिंक अक्षम हो जाएगा।

उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना अग्रिम में ऑनलाइन आवेदन करने की सख्त सलाह दी जाती है। आवश्यक प्रमाणपत्रों के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति बाद के चरण में स्क्रीनिंग/सत्यापन के लिए सुरक्षित रूप से रखी जानी चाहिए।

योग्यता/पात्रता की स्थिति, आयु और अन्य दस्तावेजों को आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तिथि यानी 29 June 2019 के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

विज्ञापित पदों का विवरण निम्नानुसार है :

1.	पद का नाम	:	कुशल सहायक कर्मचारी
2.	पदों की संख्या	:	कुल-100 (अनारक्षित-46, अन्य पिछड़ा वर्ग-27, अनुसूचित जाति-16, अनुसूचित जनजाति-01 और आर्थिक रूप से कमजोर-10)
3.	वर्गीकरण	:	समूह सी
4.	लेवल 7वें वेतन आयोग के अनुसार	:	स्तर 1 : 7वीं CPC मैट्रिक्स के अनुसार
5.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	:	27 वर्ष (आयु की गणना आवेदन की अन्तिम तिथि को होगी)
6.	प्रत्यक्ष भर्तियों के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	:	आवश्यक योग्यताएं : (i) मैट्रिक या मान्यता प्राप्त बोर्ड से समकक्ष (ii) साईकिल चलाने का ज्ञान। (iii) शारीरिक तौर से सक्षम। (योग्यताधारी शारीरिक परीक्षण) : (क) 30 मिनट में 5 KM तक चलें (ख) एक घंटे में एक अनुसंधान भूखंड (5x5 मीटर) को तैयार करना होगा।
7.	परिवीक्षा की अवधि	:	दो साल
8.	भर्ती / चयन का तरीका	:	शैक्षणिक योग्यता के अंक 0.25 x हाई स्कूल (अंक औसत में)+ 10 अंक +2 योग्यता के लिए (अधिकतम 25 अंक) + 03 अंक प्रत्येक पूर्ण साल का अनुभव अधिकतम 25 अंक। लिखित परीक्षा : 1. अंकगणितीय परीक्षण — 100 2. सामान्य ज्ञान — 50 3. भाषा (हिंदी) — 100 भारत सरकार के निर्देशानुसार कोई साक्षात्कार नहीं ली जायेगी। चयन 300 (50+100+50+100) में प्राप्त कुल अंकों पर किया जायेगा। पाठ्यक्रम प्रवेशिका स्तर का होगा ।

नोट: निःशक्त व्यक्ति एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए भारत सरकार के नियमों के अनुसार चयन किया जायेगा।

आवेदन कैसे करें :

विशेष निर्देश :

केवल निर्धारित आवश्यक योग्यता होना ही किसी उम्मीदवार को शारीरिक योग्यता जाँच/लिखित परीक्षा के लिए बुलाने के लिए योग्य नहीं हो सकता। उक्त पद के लिए, विश्वविद्यालय लिखित परीक्षा और अर्हता परीक्षा आयोजित करेगा, हालांकि योग्यता परीक्षण में प्राप्त अंकों को सरकार के अनुसार अंतिम चयन के लिए नहीं माना जाएगा। किसी भी आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति से संबंधित सभी मामलों में विश्वविद्यालय का निर्णय, उम्मीदवारों की पात्रता/उपयुक्तता, चयन का तरीका और मानदंड चयन के लिए आदि उम्मीदवारों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा। इस संबंध में कोई पूछताछ या पत्राचार नहीं किया जाएगा।

नोट : उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि शिक्षा योग्यता पृष्ठ में केवल प्रतिशत दर्ज करना अनिवार्य है।

एक पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे आवेदन की प्राप्ति की

अंतिम तिथि पर सभी पात्रता शर्तों को पूरा करें। यदि लिखित परीक्षा या शारीरिक योग्यता जाँच या नियुक्ति से पहले या बाद में किसी भी समय सत्यापन पर, यह पाया जाता है कि वे पात्रता की किसी भी शर्त को पूरा नहीं करते हैं या यह पाया जाता है कि दी गई जानकारी गलत है या अधूरी है, उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

सामान्य निर्देश :

1. आवेदन जमा करने की ऑनलाइन विधि आवश्यक होगी।
2. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सामान्य निर्देश, आवश्यक जानकारी और अन्य महत्वपूर्ण शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
3. पात्र और इच्छुक व्यक्तियों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.rpcau.ac.in पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि **29 जून, 2019 (23:59 बजे रात्रि तक)** है। उम्मीदवार को सभी विवरणों को भरना चाहिए।
4. ऑनलाइन आवेदन करने के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा।
5. अपने आवेदन की स्थिति के भविष्य के संदर्भ के लिए और अपने ऑनलाइन भरे हुए आवेदन पत्र को फिर से प्रिंट करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड स्क्रीन का प्रिंट आउट लें।
6. आवेदन के सफलतापूर्वक जमा होने के बाद, उम्मीदवार आवेदन पत्र का प्रिंट-आउट ले सकते हैं।
7. आवेदकों को विधिवत भरे हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी भेजने की आवश्यकता नहीं है। सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी को सत्यापन/जांच के लिए जब माँगा जाय तब लाना होगा।
8. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन पत्र को ध्यान से भरें। नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी, योग्यता, फोटो के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य है।
9. आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जो दस्तावेज वे अपलोड कर रहे हैं वे धुंधले नहीं हैं और उन्हें पढ़ने योग्य होना चाहिए।
10. **आवेदन शुल्क और भुगतान का तरीका :**
 अनारक्षित / अन्य पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर : ` 500 /-
 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / दिव्यांग : ` 250 /-

उम्मीदवार इंटरनेट बैंकिंग/क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड के माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।

ध्यान दें :

- (i) निर्दिष्ट आवेदन शुल्क के अलावा बैंक शुल्क उम्मीदवार द्वारा वहन किया जाएगा।
- (ii) एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।
- (iii) मनी ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, चेक, आईपीओ आदि जैसे किसी अन्य तरीके द्वारा प्रस्तुत आवेदन शुल्क को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

अन्य शर्तें

1. जहां भी लागू हो, भारत सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक रूप से कमजोर/ दिव्यांग उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप पर आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
2. दिव्यांगता पदों के लिए केवल ऐसे व्यक्ति सेवाओं/पदों में आरक्षण के लिए पात्र होंगे जो, कम से कम 40 प्रतिशत दिव्यांग हो।

3. आयु में छूट भी निम्न श्रेणियों के संबंध में दी जाएगी, जैसा कि प्रत्येक के खिलाफ बताया गया है :

क्र० सं०	व्यक्तियों की श्रेणी	आयु में छूट की अधिकता
1.	डॉ० राजेंद्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के नियमित/स्थायी कर्मचारी ।	कोई आयु सीमा नहीं ।
2.	डॉ० राजेंद्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के संविदा/आकस्मिक श्रमिक ।	उम्र में छूट की सीमा विश्वविद्यालय में आकस्मिक एवं अनुबंधित (सीधे विश्वविद्यालय द्वारा या अधिकृत जनशक्ति प्रदाता के माध्यम से) श्रमिकों द्वारा दी गई सेवा के अवधि के बराबर होगी । चूँकि विश्वविद्यालय सेवा नियमों के अनुसार सेवा निवृत्ति की आयु सीमा 60 वर्ष है। अतः वे श्रमिक जो 60 वर्ष से ज्यादा आयु के हैं उन्हें अयोग्य माना जाएगा ।
3.	केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्रीय विश्वविद्यालयों/यूजीसी के नियमित कर्मचारियों को विश्वविद्यालय/अन्य केन्द्रीय/राज्य स्वायत्त निकायों/संगठनों/संस्थानों के कर्मचारी ।	उम्र सीमा में कोई छूट नहीं दी जायेगी ।
4.	ओबीसी/एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी/पूर्व सैनिक ।	भारत सरकार के नियमों के अनुसार उम्र सीमा का पालन किया जायेगा ।

- चयनित उम्मीदवार डॉ० राजेंद्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा में सेवा के दौरान कोई अन्य कार्य नहीं करेंगे ।
- चयनित उम्मीदवार को शामिल होने पर एक वचन देना होगा कि कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए, वह किसी भी गोपनीय कार्यालय मामले का खुलासा नहीं करेगा ।
- चयनित उम्मीदवार को दो साल की अवधि के लिए परीक्षा पर रखा जाएगा। नियुक्ति प्राधिकारी अपने विवेक पर असंतोषजनक प्रदर्शन, कदाचार या दुर्व्यवहार के आधार पर परीक्षा की अवधि को एक वर्ष तक बढ़ा सकता है। यदि इस सब के बावजूद कोई सुधार नहीं होता है, तो उसकी/उसकी सेवाओं को एक महीने का नोटिस देकर या नोटिस के बदले एक महीने के वेतन का भुगतान करके समाप्त किया जाएगा। संबंधित कर्मचारी एक महीने का नोटिस देकर या नोटिस के बदले एक महीने का वेतन जमा करने के विकल्प को छोड़ सकता है।
- विश्वविद्यालय के एक अस्थायी कर्मचारी के मामले में बाहरी रोजगार के लिए कोई भी आवेदन आमतौर पर परीक्षा की अवधि के दौरान अग्रेषित नहीं किया जाएगा। हालाँकि, यदि उनके अनुरोध पर विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनके विवेक पर विचार किया गया है, तो आवेदन को अग्रेषित करते समय एक वचन पत्र प्राप्त किया जाएगा कि वह किसी अन्य पद पर चयन की स्थिति में पद से इस्तीफा दे देगा।
- प्रिंटेड कॉपी :** मूल प्रमाण पत्रों के साथ आवेदन पत्र की प्रिंटेड कॉपी और सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी उम्मीदवार को फोटो, पहचान प्रमाण यानी पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट/वोटर आईडी कार्ड के साथ सत्यापन के समय लाना होगा/पैन कार्ड/आधार कार्ड आदि।

दुराचार का दोषी पाये जाने पर कार्यवाही

अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि वे किसी भी दावे को प्रस्तुत न करें जो कि आवेदन पत्र भरते समय गलत, छेड़छाड़/गढ़े हुए हों या किसी भी जानकारी को छुपाएं न।

लिखित परीक्षा/शारीरिक योग्यता जाँच के समय, यदि कोई उम्मीदवार निम्न अपराध का दोषी पाया जाता है :

- (i) परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का उपयोग करना; या
- (ii) किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिरूपण का प्रतिरूपण या खरीद; या
- (iii) परीक्षा हॉल में दुर्व्यवहार करना या परीक्षा हॉल से प्रश्न पुस्तिका या उसके किसी भाग/उत्तर पुस्तिका को छीन लेना; या
- (iv) चयन के लिए उसकी उम्मीदवारी के संबंध में अनुचित साधनों के किसी भी अनियमित साधन का सहारा लेना; या
- (v) किसी भी अनुचित तरीके से उसके/उसकी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करना, ऐसा उम्मीदवार आपराधिक मुकदमे के लिए खुद को उत्तरदायी ठहराने के अलावा, उत्तरदायी हो सकता है : -

तो उसे निम्न सजा दी जा सकती है :-

- (क) लिखित परीक्षा/शारीरिक योग्यता जाँच से अयोग्य घोषित किया जाना जिसके लिए वह एक उम्मीदवार है।
- (ख) विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा या भर्ती से या तो स्थायी रूप से या निर्दिष्ट अवधि के लिए वंचित किया जा सकता है।
- (ग) सेवा समाप्ति के लिए, यदि वह पहले से ही सरकार में है।

नोट : डॉ० राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा ने बायोमेट्रिक प्रक्रिया और सीसीटीवी कैमरा/वीडियोग्राफी आदि का उपयोग करके ऑनलाइन आवेदन से चयन तक की पूरी भर्ती प्रक्रिया की निगरानी के अधिकार सुरक्षित रखे हैं।

सामान्य निर्देश

1. विश्वविद्यालय के पास इसका अधिकार है :
 - (क) बिना किसी कारण के किसी भी समय किसी भी श्रेणी के तहत किसी भी विज्ञापित पद को वापस ले लें। नियुक्ति प्रक्रिया के समय उत्पन्न होने वाली कोई भी परिणामी रिक्तियों को भी उपलब्ध उम्मीदवारों से भरा जा सकता है। इस प्रकार पदों की संख्या आवश्यकतानुसार बदली जा सकती है।
 - (ख) उम्मीदवार की योग्यता, अनुभव और प्रदर्शन के आधार पर उस विज्ञापन से कम स्तर पर पद की पेशकश करें;
 - (घ) भविष्य में संभावित रिक्तियों के खिलाफ आरक्षित पैनल (ओं) को ड्रा करें;
 - (ङ) किसी भी श्रेणी में किसी भी विज्ञापित पदों को भरने या न बढ़ाने के लिए पोस्ट को बढ़ाएं या घटाएं;
 - (च) अर्हता परीक्षण/लिखित परीक्षण/साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को कम करने के लिए आवेदनों की जांच के लिए मानदंड तय करना;
 - (छ) ऐसे पदों के लिए उम्मीदवारों को आगे बढ़ाने के लिए अर्हता/लिखित परीक्षा आयोजित करना जहां भर्ती नियमों में कोई परीक्षण निर्धारित नहीं है और बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं; तथा
 - (ज) अपने विवेक पर उम्र/योग्यता/अनुभव में शिथिलता प्रदान करें।
2. एक व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है, को विश्वविद्यालय में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा।

3. अंतिम मिनट की भीड़ से बचने के लिए, उम्मीदवारों को पर्याप्त रूप से जल्दी आवेदन करने की सलाह दी जाती है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने में विश्वविद्यालय नेटवर्क समस्याओं या इस प्रकृति की किसी भी अन्य समस्या के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
4. उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले खुद को संतुष्ट करने की सलाह दी जाती है कि वे पद के लिए निर्धारित न्यूनतम आवश्यक योग्यता/अनुभव के कम से कम अधिकारी हों।
5. **न्यूनतम शैक्षिक योग्यता** : सभी आवेदकों को पद की आवश्यक आवश्यकताओं और विज्ञापन में निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करना होगा। उन्हें आवेदन करने से पहले खुद को संतुष्ट करने की सलाह दी जाती है कि वे विभिन्न पदों के लिए निर्धारित कम से कम आवश्यक योग्यता रखते हैं। पात्रता के रूप में सलाह मांगने वाली कोई भी जांच पर विचार नहीं किया जाएगा।

नोट : निर्धारित आवश्यक योग्यता न्यूनतम है और केवल उसका होना उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा/शारीरिक योग्यता जाँच के लिए बुलाया जाने का अधिकार नहीं देता है।

6. प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग आवेदन (आवेदन शुल्क) किया जाना चाहिए।
7. एक उम्मीदवार चाहे वह सामान्य या आरक्षित श्रेणी का हो (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर/दिव्यांग) किसी विशेष श्रेणी के विज्ञापन के लिए केवल एक ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। **कोई ऑफलाइन फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा।** आवेदन पत्र के सभी प्रासंगिक कॉलम भरे जाने चाहिए।
8. आपके आवेदन को पूरा करने के लिए सभी अनिवार्य क्षेत्रों को भरना आवश्यक है।
9. **अधूरे आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा।**
10. योग्यता/पात्रता की स्थिति, आयु और अन्य दस्तावेज ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के संबंध में निर्धारित किए जाएंगे, जिन्हें अंतिम तिथि के रूप में कहा जाएगा अर्थात विज्ञापन में दी गई 24 जून 2019।
11. ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिए गए पते में से कोई भी परिवर्तन विश्वविद्यालय के नियुक्ति शाखा के ई-मेल recruitment@rpcau.ac.in पर सूचित किया जाना चाहिए।
12. **ऑनलाइन के अलावा किसी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।** मूल प्रमाण पत्रों के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति और स्व-सत्यापित प्रमाण पत्रों की फोटोकॉपी को सत्यापन/स्कूटनी-कम-साक्षात्कार के साथ फोटो, पहचान प्रमाण, पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट /वोटर आईडी के साथ लाना होगा। कार्ड/पैन कार्ड/आधार कार्ड आदि कोई ऑफलाइन आवेदन पत्र या डाउनलोड किए गए आवेदन पत्र की प्रति विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार नहीं की जाएगी।
13. किसी भी तकनीकी समस्या के मामले में, कृपया recruitment@rpcau.ac.in पर ईमेल भेजें।
14. कोई अंतरिम पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।
15. शारीरिक योग्यता जाँच/लिखित परीक्षा/योग्यता या कौशल परीक्षा के लिए लघु-सूचीबद्ध उम्मीदवारों की सूची और शारीरिक योग्यता जाँच/लिखित परीक्षा/योग्यता या कौशल परीक्षण का विवरण केवल विश्वविद्यालय की वेबसाइट, www.rpcau.ac.in पर प्रकाशित किया जाएगा। **अलग से कोई बुलावा पत्र आवेदक के पास नहीं भेजा जाएगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से विश्वविद्यालय की वेबसाइट देखें।**

16. अभ्यर्थी/उम्मीदवार द्वारा दिए गए ई-मेल पते पर विश्वविद्यालय द्वारा किये गये पत्राचार के दौरान हुए किसी भी नुकसान/गलती के लिए विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा और साथ ही अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि वे समय-समय पर अपना ई-मेल चेक करते रहें।
17. लिखित परीक्षा/शारीरिक योग्यता जाँच के बाद, चयन के मामले में नियुक्ति अन्तरिम होगी और उचित चैनलों के माध्यम से सत्यापित किए जा रहे जाति प्रमाण पत्र के अधीन है। यदि सत्यापन से पता चलता है कि उम्मीदवार का दावा अनुसूचित जन जाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर)/आर्थिक रूप से कमजोर से संबंधित है, तो उसके/उसकी सेवाओं को बिना किसी और कारण बताए और इस तरह की आगे की कार्रवाई के पक्षपात के बिना समाप्त कर दिया जाएगा, जो कि गलत प्रमाण पत्र के उत्पादन के लिए भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत लिया जा सकता है।
18. एक आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापन के अधीन होगी। यदि कोई भी दस्तावेज नियुक्ति से पहले या बाद में गलत/नकली/असत्य/दूरभावनापूर्ण पाया जाता है, तो दस्तावेज को संक्षिप्त रूप से अस्वीकृत कर दिया जाएगा और उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा सकती है, जिसके कारण उसकी नियुक्ति रद्द हो सकती है।
19. उम्मीदवार की नियुक्ति चरित्र के सत्यापन के अधीन होगी यदि उसके आचरण, चरित्र, पूर्ववृत्त, जाति प्रमाण पत्र आदि के संबंध में रिपोर्ट असंतोषजनक या गलत पाई जाती है, तो नियुक्ति को रद्द/समाप्त कर दिया जाएगा।
20. चयनित उम्मीदवारों को समय-समय पर संशोधित विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार कर्तव्यों का पालन करने की आवश्यकता होगी। विश्वविद्यालय किसी भी समय गैर-काम के घंटे/छुट्टियों के दौरान किसी भी स्थिति के अनुसार किसी भी कर्तव्य को सौंपने के लिए स्वतंत्र होगा जिसे कर्मचारी को किसी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई से बचने के लिए बिना प्रदर्शन करना होगा।
21. उम्मीदवार को स्वयं के खर्च पर उल्लिखित स्थान और समय पर लिखित परीक्षा/शारीरिक योग्यता जाँच के लिए खुद को प्रस्तुत करना होगा। हालांकि, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित बाह्य उम्मीदवारों को स्लीपर क्लास के रेल किराया का भुगतान किया जाएगा, और यदि कोई स्टेशन रेल से जुड़ा नहीं है, तो सामान्य बस का किराया सबसे कम मार्ग से भुगतान किया जाएगा, यदि आरक्षित पदों के खिलाफ शारीरिक योग्यता जाँच के लिए बुलाया जाता है तो भारत सरकार के नियमानुसार ट्रेन में सीट/स्लीपिंग बर्थ को आरक्षित करने के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं दिया जाता है, फिर भी, उम्मीदवारों को प्रतिपूर्ति की जाती है। उपर्युक्त शर्तें उन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए स्वीकार्य नहीं हैं, जो पहले से ही केन्द्र/राज्य सरकार की सेवा में हैं या किसी अन्य जगह नौकरी कर रहे हों।
22. सभी सेवा शर्तें भारत सरकार के उन नियमों के अनुसार होंगी जिन्हें विश्वविद्यालय ने स्वीकार किया है।
23. चयनित उम्मीदवार को भारत सरकार की नई पेंशन योजना 'द्वारा लागू किया जाएगा जैसा कि लागू होता है।
24. चयन की प्रक्रिया में किसी भी अनजानी गलती के मामले में, जिसे नियुक्ति पत्र जारी करने के बाद भी किसी भी स्तर पर पता लगाया जा सकता है, विश्वविद्यालय उम्मीदवारों को किए गए किसी भी संचार को संशोधित/वापस लेने/रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

25. विश्वविद्यालय नियुक्ति के समय या सेवा के कार्यकाल में किसी भी समय प्रस्तुत किए गए पिछले जीवन या मूल प्रमाण पत्र को सत्यापित करेगा। मामले में, यह पता लगाया जाता है कि आवेदन पत्र में दी गई जानकारी, दस्तावेज फर्जी हैं या उम्मीदवार के पास गुप्त उपाख्यान/पृष्ठभूमि है और उसने उक्त जानकारी को दबा दिया है, उसकी सेवाओं को तत्काल समाप्त कर दिया जाएगा।
26. विश्वविद्यालय की सेवा में शामिल होने के बाद, उम्मीदवार को समय-समय पर लागू विश्वविद्यालय के नियमों, विनियमों और अध्यादेशों का पालन करना होगा। उसे विश्वविद्यालय के भीतर या बाहर किसी भी काम को सौंपा जा सकता है जो काम की जरूरत पर निर्भर करता है।
27. सरकारी/अर्ध-सरकारी संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों में सेवारत आवेदकों को दस्तावेजों/लिखित परीक्षा के साक्षात्कार/सत्यापन के समय अपने वर्तमान नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लाना होगा। हालाँकि, आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने वर्तमान नियोक्ता को औपचारिक रूप से डॉ० राजेंद्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा में ऐसा आवेदन करने के बारे में लिखें, जिसमें विफल रहने पर उनकी उम्मीदवारी/चयन रद्द हो सकती है।
- 28. किसी भी रूप में सिफारिश करने से उम्मीदवारी रद्द हो सकती है।**
29. यद्यपि चयनित उम्मीदवार का मुख्यालय डॉ० राजेंद्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर, बिहार का कोई भी कृषि विज्ञान केन्द्र होगा, वह भारत में कहीं भी सेवा करने के लिए उत्तरदायी होगा।
30. किसी भी विवाद के मामले में, विश्वविद्यालय के खिलाफ कोई भी मुकदमा या कानूनी कार्यवाही, बिहार में न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र समस्तीपुर जिला न्यायालय और पटना उच्च न्यायालय में होगा।
31. इस विज्ञापन में बदलाव या परिशिष्ट या रद्दीकरण, यदि कोई हो, केवल विश्वविद्यालय की वेबसाइट (www.rpcau.ac.in) पर प्रकाशित किया जाएगा और समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जाएगा। इसलिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे विश्वविद्यालय की वेबसाइट को नियमित रूप से देखें।
32. **फर्जी संस्थान :** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली या किसी भी अन्य नियामक निकाय द्वारा फर्जी घोषित किए गए किसी भी संस्थान से विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए डिग्री या डिप्लोमा या प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे।
33. किसी भी खंड या नियमों के संबंध में कोई अस्पष्टता या स्पष्टता की कमी पर विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा।
34. निम्नलिखित व्यक्तियों की श्रेणियां विश्वविद्यालय में किसी भी पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगी:
- जिसे किसी विधि न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया हो या कोई आपराधिक कार्यवाही उसके विरुद्ध लंबित हो;
 - जिसने जीवनसाथी के साथ रहने वाले व्यक्ति के साथ विवाह किया या अनुबंध किया हो;
 - जो, एक जीवनसाथी है, जिसने किसी भी व्यक्ति के साथ शादी में प्रवेश किया है या अनुबंध किया है। बशर्ते कि विश्वविद्यालय का सक्षम प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति के लिए लागू व्यक्तिगत कानून के तहत ऐसी शादी अनुमान्य है और दूसरा पक्ष विवाह के लिए है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, किसी भी व्यक्ति को इन नियमों के संचालन से छूट;
 - जो भारत का नागरिक नहीं है; तथा
 - भारत सरकार/कृषि अनसंधान एवं शिक्षा विभाग (DARE) द्वारा समय-समय पर नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किए गए व्यक्ति की कोई अन्य श्रेणी।

35. आवेदन फार्म के साथ अपेक्षित होने के लिए दस्तावेज :

- (क) स्कैन किया हुआ फोटोग्राफ (जेपीईजी प्रारूप में 20 केबी – 50 केबी के बीच) ।
- (ख) स्कैन किए गए हस्ताक्षर (जेपीईजी प्रारूप में 10 केबी – 20 केबी के बीच) ।
- (ग) प्रमाणपत्र और योग्यता की मार्कशीट (पीडीएफ प्रारूप में 50 केबी – 300 केबी के बीच) ।
- (घ) अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पीडब्ल्यूडी प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक (यदि कोई हो) (जेपीईजी प्रारूप में 300 केबी – 500 केबी के बीच) ।
- (ङ) जन्म प्रमाण की तिथि (300 केबी – 500 केबी के बीच जेपीईजी प्रारूप में) ।

36. दस्तावेजों सत्यापन के समय पर निम्न दस्तावेज लाने होंगे :

- (क) ऑनलाइन आवेदन में उल्लिखित/अपलोड किए गए शैक्षिक योग्यता और अन्य दस्तावेजों के सभी मूल प्रमाण पत्र/दस्तावेज/प्रशंसापत्र इन सभी प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों/प्रशंसापत्र की स्व-सत्यापित प्रतियों का एक प्रति ।
- (ख) अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस के रूप में आरक्षण की मांग करने वाले जाति प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रोफार्मा में स्पष्ट रूप से उम्मीदवार की जाति, अधिनियम/आदेश जिसके तहत जाति को एसटी/एससी/ओबीसी/ ईडब्ल्यूएस और गांव के रूप में मान्यता प्राप्त है/शहर का उम्मीदवार आमतौर पर निवासी है ।
- (ग) आवेदन पत्र पर चिपकाए गए स्वप्रमाणित नवीनतम फोटोग्राफ के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति ।
- (घ) उम्मीदवारों की सेवा में उनके वर्तमान नियोक्ता से 'अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी)' ।

37. आवेदन के अस्वीकृत होने के संभावित कारण :

- (क) किसी विशेष पद के लिए एक से अधिक आवेदन फॉर्म;
- (ख) आवेदन अपूर्ण है और ऑनलाइन नहीं है;
- (ग) पूर्ण शुल्क, यदि निर्धारित तरीके से जमा नहीं किया गया है;
- (घ) आवेदक के पास अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता नहीं है, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि पर अनुभव;
- (ङ) उम्मीदवार की आयु आवेदन की अंतिम तिथि को कम/अधिक नहीं होना चाहिए;
- (च) सत्यापन/जाँच के लिए लाए जाने पर ऑनलाइन आवेदन पत्र के डेटा में और मूल दस्तावेजों में परिवर्तन तथा
- (छ) विज्ञापन में निर्धारित आवश्यक योग्यता का अभाव ।
- (ज) भरे गये दस्तावेज की कमी ।
- (झ) भरे गये दस्तावेज धुंधले या अपठनीय ।

लिखित परीक्षा/शारीरिक योग्यता जाँच के दौरान डा0 राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा में मेबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करना

सिफारिशों के माध्यम से अधिकारियों को प्रभावित करने का कोई भी प्रयास उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर देगा ।

नोट : किसी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी वाले प्रारूप को अधिकारिक माना जाएगा ।

उप कुलसचिव (नियुक्ति)
रा0प्र0के0कृ0वि0, पूसा